भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1234
उत्तर देने की तारीख: 25.07.2022

शिक्षा में अवसंरचना और प्रणाली का पुन: सशक्तीकरण

ł1234 श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□

(क) क्या सरकार ने शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों का पुन: सशक्तीकरण (आरआईएसई) लागू किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत 2015 से अब तक राज्य-वार क्या पहल की गई है/की जा रही है; और
(घ) योजना के तहत स्वीकृत और उपयोग की गई निधि राज्य-वार कितनी है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (घ) : जी हां। भारत सरकार ने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना ढांचे में निवेश बढ़ाने हेतु शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों का पुन: सशक्तिकरण (आरआईएसई) को लागू किया है। इस पहल के निधियन हेतु उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) की उपयुक्त संरचनात्मक व्यवस्था करते हुए जुलाई, 2018 में इस योजना की शुरूआत की गई थी।

यह योजना केंद्र द्वारा वित्त पोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों (सीएफएचईआई) के लिए लागू है। संस्थानों की ओर से सीधे निधियों/ऋणों की मांग की जाती है और एचईएफए की क्रेडिट नीति के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है। संस्थान और एचईएफए के बीच समझौते के निष्पादन के बाद निधियों को जारी किया जाता है।

एचईएफए के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, अनुसंधान प्रयोगशाला एवं उपकरण शामिल हैं।

शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों का पुन: सशक्तिकरण (आरआईएसई) के तहत वर्ष 2018 से सहायता प्राप्त संस्थानों की संख्या, स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I पर दिया गया है।

*****

शिक्षा में अवसंरचना और प्रणाली का पुन: सशक्तिकरण के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी द्वारा दिनाक 25.07.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1234 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

(रू करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थानों की संख्या	30.06.2022 तक स्वीकृत राशि	उपयोग हेतु जारी की गई कुल निधियां
1	आंध्र प्रदेश	7	2719.79	1442.01
2	अरुणाचल प्रदेश	2	101.59	42.00
3	असम	5	1151.23	484.82
4	बिहार	4	1458.77	637.49
5	छत्तीसगढ़	3	1083.71	192.29
6	गोवा	1	282.39	120.00
7	गुजरात	2	470.52	282.29
8	हरियाणा	2	621.00	542.85
9	हिमाचल प्रदेश	3	1254.37	907.10
10	जम्मू और कश्मीर	5	3330.97	344.08
11	झारखंड	5	1708.95	633.35
12	कर्नाटक	4	1500.28	342.86
13	केरल	3	1435.16	336.64
14	मध्य प्रदेश	6	1170.27	459.54
15	महाराष्ट्र	5	2358.18	1036.90
16	मिजोरम	1	128.76	35.42
17	नागालैंड	1	70.22	-
18	नई दिल्ली	7	2936.38	968.57
19	ओड़ीशा	5	1395.73	582.19
20	पांडिचेरी	1	206.94	130.41
21	पंजाब	6	1674.95	1017.94
22	राजस्थान	3	399.62	279.47
23	तमिल नाडु	3	738.84	519.65
24	तेलंगाना	3	676.57	455.34
25	उत्तर प्रदेश	7	2678.02	1797.91
26	उत्तराखंड	2	1183.64	368.64
27	पश्चिम बंगाल	4	1189.99	715.30
	कुल	**100**	**33926.84**	**14675.06**

****